न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 16/2020
GCMS No-2020/00020

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		रामकिशन पुत्र मधुराम विश्नोई (विक्रेता मालिक) मैसर्स–सारणेश्वर डेयरी, मस्जिद वाली गली (रावला के पास) नाणा, तहसील बाली जिला पाली, निवासी जाणियों की बेरी, कोलीयाना, तहसील धोरीमना बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी स्वयं

–: निर्णय :–

दिनांक : 02.03.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपना लिखित जवाब पेश किया किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 30.03.2019 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सारणेवश्वर डेयरी, मस्जिद वाली गली (रावला के पास) नाणा, तहसील बाली पर पहूँचा, जहां पर अप्रार्थी की उपस्थिति में डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया की दुध के फ्रीजर में लगभग 100 लीटर दुध भरा हुआ था, जो आमजन को बिक्री के वास्ते रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में मिक्स दुध को हिला मिला कर, एक रूप कर दो लीटर दूध क्रय किया। जिस एक साफ सुखी एवं खाली भगोनी में लिया तथा चार भागों में विभक्त कर, चार शिशियों में बराबर–बराबर भरकर उसमें 40–40 बुंद फार्मेलिन की बतौर प्रीजरवेटीव डालकर उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–914 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./309/एक्ट/2019/363 दिनांक 26.04.2019 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिक्स दूध को **sub-standard** का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा **sub-standard** खाद्य पेय मिक्स दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अप्रार्थी ने जो लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से जो मिक्स दूध का सेम्पल लिया गया हैं। उक्त दूध अप्रार्थी द्वारा दूर–दराज से आने वाले दूध बेचने वालों से खरीदा जाता है, जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। प्रार्थी द्वारा लिया गया सेम्पल खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा **sub-standard** स्तर का पाया गया, जिसे वह स्वीकार करता है तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करने बाबत कथन किया। अतः कम से कम जुर्माना वसूल किया जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी दिनांक 30.03.2019 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सारणेश्वर डेयरी, मस्जिद वाली गली (रावला के पास) नाणा, तहसील बाली पर गस्त के दौरान गया, विक्रय हेतु रखे गये दुध में मिलावट का शक हुआ तो उसने अप्रार्थी व गवाहान की उपस्थिति में उसकी फर्म से मिक्स दुध को क्रय कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मिक्स दुध के नमूने लिए गए। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। उक्त क्रय सुदा मिक्स दुध को नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–914 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा वास्ते जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./309 /एक्ट /2019/363 दिनांक 26.04.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–914 को " The sample of Mixed Milk bearing Code No. R-914 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Foods Products Standards and Food Additives) Regulations 2011. का माना है। इस संबंध में अप्रार्थी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करेगा, बाबत कथन किए है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा **Sub-standard** खाद्य पेय मिक्स दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली